



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60078-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 321 सन् 2026

रामप्रवेश यादव

.....अपीलकर्ता

बनाम

श्री कुमार प्रशांत, निदेशक, समाज कल्याण और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : विद्या धर यादव, कमलाकांत

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अंकित गौर (एससी)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत यह अपील अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 4148/2025 में दिनांक 02.02.2026 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अवमानना का कोई प्रकरण नहीं बनता है और परिणामस्वरूप, आवेदन को गलत मानते हुए, उसे खारिज कर दिया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. अपीलकर्ता ने रिट-ए संख्या 12418/2023 दायर की थी, जिसका निस्तारण विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 29.04.2025 को **रामप्रीत राजभर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य: 2025:एचसी:66493** में पारित आदेश के अनुसार किया गया था।

3. **रामप्रीत राजभर (उपरोक्त)** के प्रकरण में, एक अन्य एकल न्यायाधीश ने प्रकरण को संबंधित प्रतिवादीगण को वापस भेज दिया था ताकि वे कानून के अनुसार और आदेश में की गई टिप्पणियों के आधार पर आदेश पारित होने की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर एक नया आदेश पारित कर सकें।

4. अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, अपीलकर्ता ने दिनांक 12.05.2025 को पंजीकृत डाक के माध्यम से एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर अवमानना याचिका दायर होने तक जानबूझकर कोई निर्णय नहीं लिया गया था और अपीलकर्ता को प्रशिक्षित वेतनमान का बकाया और प्रशिक्षित वेतनमान का वेतन नहीं दिया गया था तथा उसे मई 2025 माह के लिए अप्रशिक्षित वेतन का भुगतान किया गया था, जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन था।

5. अवमानना याचिका के लंबित रहने के दौरान, न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2025 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें स्थायी अधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि दिनांक 17.07.2025 के आदेश द्वारा निर्धारित वेतनमान एक महीने के भीतर अपीलकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि स्वीकृत राशि, जिसके लिए अपीलकर्ता हकदार है, अपीलकर्ता के खाते में स्थानांतरित नहीं की जाती है, तो सभी विपक्षी पक्ष अगली तिथि पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

6. अगली तिथि को, एक डिस्चार्ज और छूट आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 13.05.2025 की एक जांच रिपोर्ट निदेशालय को भेजी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अपीलकर्ता सहित 25 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं और उनकी नियुक्ति की स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अभिलेखों में नहीं पाई गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. आगे यह भी बताया गया कि नियुक्ति और अनुमोदन न होने के कारण अपीलकर्ता का वेतन रोक दिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता की नियुक्ति फर्जी होने के कारण 19.08.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया है, इसलिए अपीलकर्ता वेतन का दावा करने का हकदार नहीं है और निवेदन किया गया कि जारी किए गए नोटिस रद्द कर दिए जाएं।

8. जब प्रकरण न्यायालय के समक्ष आया, तो विद्वान एकल न्यायाधीश ने चुनौती दिए गए आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता अवमानना साबित करने के लिए कुछ भी प्रदर्शित करने में विफल रहा है और न्यायालय प्रकरण की गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकता है और कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकता है, और परिणामस्वरूप, अवमानना याचिका खारिज कर दी।

9. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि विशेष अपील विचारणीय नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रकरण की गुण-दोष से संबंधित किसी भी पहलू पर निर्णय नहीं लिया है और इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **मिदनापुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम चुनीलाल नंदा और अन्य: (2006) 5 एससीसी 399** के फैसले और इस न्यायालय द्वारा **सुभाष चंद्र बनाम श्रीकांत गोस्वामी और 2 अन्य: 2024:एचसी-एलकेओ:58884-डीबी** के फैसले के मद्देनजर, विशेष अपील विचारणीय नहीं है।

10. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलीलों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि अवमानना याचिका लंबित रहने के दौरान वेतन भुगतान का आश्वासन दिया गया था, हालांकि, उक्त आश्वासन पूरा नहीं किया गया है। **बलवंतभाई सोमभाई भंडारी बनाम हीरालाल सोमभाई कॉन्ट्रैक्टर (AIR 2023 SC 4390)** प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर, आश्वासन का जानबूझकर उल्लंघन स्वयं दीवानी अवमानना के बराबर है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक है।

11. आगे यह तर्क दिया गया कि वसूली के लिए पारित आदेश के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की गई है और दर्ज एफआईआर के विरुद्ध भी एक रिट याचिका दायर की गई है, जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।



12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मिदनापुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड** (उपरोक्त) के प्रकरण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कही हैं:

"11. अवमानना कार्यवाही में आदेशों के विरुद्ध अपीलों के संबंध में इन निर्णयों से जो स्थिति उभरती है, उसे संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है:

I. धारा 19 के अंतर्गत अपील केवल उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना के लिए दंड देने के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित आदेश या निर्णय के विरुद्ध ही विचारणीय है, अर्थात् अवमानना के लिए दंड लगाने वाले आदेश के विरुद्ध।

II. अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने से इनकार करने वाला आदेश, अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने वाला आदेश, अवमानना की कार्यवाही समाप्त करने वाला आदेश, या अवमाननाकर्ता को बरी या दोषमुक्त करने वाला आदेश, सीसी अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अपीलीय नहीं है। विशेष परिस्थितियों में, इन्हें संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है।

III. अवमानना की कार्यवाही में, उच्च न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि क्या न्यायालय की अवमानना की गई है, और यदि हां, तो क्या दंड होना चाहिए और उससे संबंधित अन्य प्रकरण। ऐसी कार्यवाही में, पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेना उचित नहीं है।

IV. जारी किया गया कोई भी निर्देश या लिया गया कोई भी निर्णय पक्षकारों के बीच विवाद के गुण-दोष के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश अवमानना के लिए दंड देने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और इसलिए, सीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील योग्य नहीं है। एकमात्र अपवाद वह स्थिति है जहां ऐसा निर्देश या निर्णय अवमानना के लिए दंड देने

वाले आदेश से संबंधित या उससे अविभाज्य रूप से जुड़ा हो, ऐसी स्थिति में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील में संबंधित या उससे अविभाज्य रूप से जुड़े निर्देश भी शामिल हो सकते हैं।

V. यदि उच्च न्यायालय, किसी भी कारण से, अवमानना कार्यवाही में पक्षकारों के बीच विवाद के गुण-दोष से संबंधित किसी मुद्दे पर निर्णय लेता है या कोई निर्देश देता है, तो पीडित व्यक्ति के पास उपाय उपलब्ध है। ऐसे आदेश को अंतर-न्यायालय अपील में चुनौती दी जा सकती है (यदि आदेश एक विद्वान एकल न्यायाधीश का हो और अंतर-न्यायालय अपील का प्रावधान हो), या भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करके (अन्य प्रकरणों में)।

प्रथम बिंदु का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

(जोर दिया गया)

14. उक्त निर्णय का अनुसरण करते हुए, **सुभाष चंद्र (उपरोक्त)** प्रकरण में डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"69. उपरोक्त चर्चा का सार, इसमें शामिल कानूनी सिद्धांत और वे परिस्थितियाँ जब न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत अपील की जा सकती है और जब अवमानना क्षेत्राधिकार में पारित आदेश के विरुद्ध विशेष अपील की जा सकती है, उन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:-"

(ए) न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 19(1) का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अवमानना न्यायालय ने अवमानना के लिए दंड देने हेतु अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया हो। इस प्रावधान का सार ऐसे निर्णयों के विरुद्ध उपाय प्रदान करना है जहाँ न्यायालय ने अवमाननाकर्ता को दंडित करने के लिए कोई निर्णायक कार्रवाई की हो। इसमें वे आदेश शामिल हैं जिनमें जुर्माना, कारावास या अवमाननापूर्ण व्यवहार से सीधे संबंधित अन्य दंडात्मक उपाय लगाए गए हों। अंतरिम आदेश, जिनमें अवमानना के लिए दंड का प्रावधान नहीं होता, धारा 19 के दायरे में नहीं आते। ऐसे आदेशों में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने,

हलफनामे दाखिल करने या अवमानना कार्यवाही जारी रखने के लिए आवश्यक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रक्रियात्मक निर्देश शामिल हो सकते हैं। ये नियमित न्यायिक कार्यवाहियाँ हैं जो प्रकरण की प्रगति में सहायक होती हैं, लेकिन अवमानना के मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं होतीं। अवमानना कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पारित नियमित आदेश भी धारा 19 के दायरे से बाहर हैं। ये आदेश आमतौर पर प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं, जो मूल प्रकरण के मुख्य मुद्दों या अवमानना के गुण-दोष पर विचार किए बिना कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं।

(बी) अवमानना कार्यवाही के संदर्भ में "गुण-दोष" की सूक्ष्म व्याख्या ही इस प्रकरण का मूल है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मिदनापुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रकरण में संदर्भित किया है। "गुण-दोष" शब्द को किसी निश्चित सूत्र में परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण इसकी विभिन्न व्याख्याएँ होती हैं। हालांकि, निर्णयों का समग्र अध्ययन कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता प्रदान करता है। मिदनापुर प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अवमानना कार्यवाही में, पक्षों के बीच विवाद की गुण-दोष से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेना अनुचित है। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अवमानना कार्यवाही मूल विवाद में शामिल पक्षों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न करे। अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और अधिकार को बनाए रखना है, न कि अंतर्निहित विवाद का समाधान करना। इस संदर्भ में "गुण-दोष" शब्द मूल प्रकरण के उन मौलिक मुद्दों को संदर्भित करता है जिनके कारण अवमानना कार्यवाही शुरू हुई। इसमें वे मूल कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्न शामिल हैं जिन पर मूल मुकदमे में विवाद हुआ था या हो रहा है।

(सी) अवमानना प्रकरणों में एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश या निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील मूल विवाद के गुण-दोष और अवमानना गठित करने वाले आचरण के बीच अंतर पर निर्भर करती है। अवमानना न्यायालय का प्राथमिक दायित्व यह निर्धारित करना है कि अवमानना हुई है या नहीं और यदि हुई है तो उचित दंड लगाना है। मूल विवाद के गुण-दोष अवमानना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। हालांकि, जब अवमानना न्यायालय मूल विवाद के गुण-दोष पर निर्देश जारी करता है या चर्चा करता है, तो वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन



करता है। ऐसे प्रकरणों में, उच्च न्यायालय में विशेष अपील की जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि अवमानना कार्यवाही के सीमित दायरे में मूल सारगर्भित मुद्दों का अनजाने में निर्णय न हो जाए, जिससे विवाद के निष्पक्ष निस्तारण के लिए पक्षों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

(डी) प्रत्येक प्रकरण की व्याख्या उसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। न्यायालयों को अवमानना कार्यवाही के प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित आदेशों और मूल प्रकरण के सारगर्भित मुद्दों पर अतिक्रमण करने वाले आदेशों के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करना चाहिए। यह अंतर अवमानना क्षेत्राधिकार की अखंडता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि 1971 के अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलें केवल उन्हीं प्रकरणों तक सीमित रहें जिनमें अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई की गई हो। इस प्रकार, अवमानना प्रकरणों में विशेष अपीलें तभी उचित हैं जब अवमानना न्यायालय मूल विवाद के गुण-दोषों पर विचार करके अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है, जिससे पक्षों के सारगर्भित अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। अवमानना क्षेत्राधिकार की अखंडता को बनाए रखने और पीड़ित पक्षों के लिए उचित उपाय प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रकरण की व्याख्या में विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

15. **मिदनापुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड** (उपरोक्त) और **सुभाष चंद्र** (उपरोक्त) के प्रकरणों में पारित आदेशों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अवमानना प्रकरणों में विशेष अपीलें तभी उचित हैं जब अवमानना न्यायालय मूल विवाद के गुण-दोषों पर विचार करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है; अन्यथा, अवमानना याचिका की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।

16. वर्तमान प्रकरण में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"7. मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता दोनों की बात सुनी है।



8. रामप्रीत राजभर (उपरोक्त) प्रकरण में पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण को अधिकारियों को पुनः विचार करने के लिए वापस भेज दिया गया था। आवेदक द्वारा दायर रिट याचिका का निस्तारण रामप्रीत राजभर (उपरोक्त) प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार किया गया था, इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रकरण को रामप्रीत राजभर (उपरोक्त) प्रकरण में दिए गए निर्णय के मद्देनजर पुनः विचार करने के लिए अधिकारियों को वापस भेज दिया गया था। आवेदक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ है कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत विपक्षी पक्ष के विरुद्ध अवमानना कैसे सिद्ध होती है।
9. न्यायालय पाता है कि इस प्रकरण में जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई है और यह न्यायालय निष्पादन न्यायालय है, निर्णय न्यायालय नहीं। न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के अंतर्गत अवमानना प्रकरणों से निस्तारण के समय, न्यायालय किसी भी प्रकरण का निर्णय नहीं कर सकता। केवल वे न्यायालय ही प्रकरण के गुण-दोष पर विचार कर सकते हैं और कोई निर्णय दर्ज कर सकते हैं जो प्रकरण का निर्णय करते हैं। अवमानना कार्यवाही में केवल पारित आदेश का ही निष्पादन करना होता है।
10. यह न्यायालय पाता है कि विपक्षी पक्ष की ओर से जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई है क्योंकि प्रकरण को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया है।
11. अवमानना का कोई प्रकरण नहीं बनता है।
12. अवमानना आवेदन गलत है और खारिज किया जाता है।
17. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोषों पर ध्यान नहीं दिया है और पाया है कि विपक्षी पक्ष की ओर से कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई है।
18. न्यायालय के समक्ष आश्वासन के पालन न होने से संबंधित उठाए गए निवेदन के संबंध में, उक्त आश्वासन के आधार पर न्यायालय ने सशर्त आदेश पारित किया था कि या तो आश्वासन का पालन किया जाए या अधिकारियों को उपस्थित रहना होगा। अधिकारी उपस्थित रहे और स्पष्टीकरण देते हुए हलफनामा दाखिल किया, जिसके आधार पर आक्षेपित आदेश अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पारित किया गया। जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया आश्वासन, जो सशर्त था, अपने आप में रिट याचिका में पारित मूल आदेश से स्वतंत्र कोई निर्णय नहीं हो सकता है और इसलिए, मुख्य प्रकरण से स्वतंत्र अवमानना नहीं हो सकता है।

19. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मिदनापुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड** (उपरोक्त) प्रकरण में दिए गए निर्णय और **सुभाष चंद्र** (उपरोक्त) प्रकरण में अपनाए गए निर्णय के मद्देनजर, वर्तमान अपील विचारणीय नहीं है। अतः इसे **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

23 मार्च, 2026

एएचए